

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 76/अजमेरा/१९६९५

यह प्रमाणित किया जाता है कि बाबा मंगलदास शर्मा

जिला अजमेरा का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम

नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक २९/१०/६९ माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ १९६९ को

अजमेरा में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थायें
अजमेरा।